




Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GSSS-Bajana Khurd[3448], Sonipat
Principal GSSS-Purkhas[3485], Sonipat
Head Master GHS-Siwanka[3579], Sonipat
Principal GSSS-Khandrai[3593], Sonipat
Principal GSSS-Akbarpur Barota[3604], Sonipat
Principal GGSSS-Butana[3678], Sonipat
Principal GGSSS-Butana[3678], Sonipat
Principal GGSSS-Butana[3678], Sonipat
यादी क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक पंचकुला 10-01-2022

विषय **माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अषा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Bajana Khurd (Sonipat) [3448]	White Washing and Painting	390000.00
2 GSSS Purkhas (Sonipat) [3485]	Repair of 3 Rooms	483000.00
3 GHS Siwanka (Sonipat) [3579]	Repair of Rooms and Toilets	715000.00
4 GSSS Khandrai (Sonipat) [3593]	Repair of Room and Toilet	176000.00
5 GSSS Akbarpur Barota (Sonipat) [3604]	Laying of Kota Stone	983950.00
6 GGSSS Butana (Sonipat) [3678]	Balance Amount for Const. of Multipurpose Hall	554000.00
7 GGSSS Butana (Sonipat) [3678]	Minor Repair & White Washing & Painting	156000.00
8 GGSSS Butana (Sonipat) [3678]	Vitrified tiles in Library, Computer Lab and Science Lab with Veranda	345000.00
	कुल राशि	3802950.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
2. निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
3. सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
4. विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फाटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा।

5. कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
6. जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (9) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

S. K. K.
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठाकन क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक, पंचकूला:-10-01-2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त सोनीपत
5. जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुराध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी सोनीपत
8. उप खजाना अधिकारी, गोहाना/गनौर/खरखोदा
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

S. K. K.
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।



सेवा में,

Principal GSSS-Dhabi Kalan[3364], Fatehabad
Principal GSSS-Nangal[3385], Fatehabad
Head Master GHS-Dhani Gopal[3402], Fatehabad
Principal GSSS-Shakar Pura[3420], Fatehabad
यादी क्रमांक 2/79-2021 W(1) Group: 372
दिनांक पंचकुला 10-01-2022

विषय **माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अषा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Dhabi Kalan (Fatehabad) [3364]	Const. of 2 Toilets	430000.00
2 GSSS Nangal (Fatehabad) [3385]	Const. of Water Tank	117200.00
3 GHS Dhani Gopal (Fatehabad) [3402]	Const. of Cycle Stand Shed with Corrigated Sheet and Iron Strasses	563000.00
4 GSSS Shakar Pura (Fatehabad) [3420]	White Wash	207800.00
	कुल राशि	1318000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फाटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (9) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

Sd/-
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक, पंचकुला:- 8-01-2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त फतेहाबाद
5. जिला शिक्षा अधिकारी, फतेहाबाद को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी फतेहाबाद
8. उप खजाना अधिकारी, टोहाना/रतिया/भूना/जाखल/भट्टू कलां
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

Sanjeev Kumar
अधीक्षक निर्माण

कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



सेवा में,

Principal GSSS-Bani[2308], Kurukshetra
Principal GGSSS-Baraut[2311], Kurukshetra
Principal GGSSS-Ladwa[2323], Kurukshetra
Principal GGSSS-Ladwa[2323], Kurukshetra
Principal GGSSS-Ladwa[2323], Kurukshetra
Principal GSSS-Mangoli Jattan[2327], Kurukshetra
Principal GSSS-Sharif Garh[2334], Kurukshetra
Principal GSSS-Baraunda[2348], Kurukshetra
Principal GSSS-Gumthala Garhu[2397], Kurukshetra
Principal GSSS-Bhateri[2420], Kurukshetra
Principal GSSS-Bhateri[2420], Kurukshetra
Principal GSSS-Thaska Miranji[2429], Kurukshetra
Principal GSSS-Kalsa[2434], Kurukshetra
Principal GSSS-Talheri[2439], Kurukshetra
Principal GSSS-Lohara[2451], Kurukshetra
Principal GSSS-Lohara[2451], Kurukshetra

यादी क्रमांक 2/79-2021 W(1) Group: 376

दिनांक पंचकुला 10-01-2022 विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन

आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अषा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Bani (Kurukshetra) [2308]	Const. of Two Rooms	1408000.00
2 GGSSS Baraut (Kurukshetra) [2311]	Const. of Prayer Ground	322000.00
3 GGSSS Ladwa (Kurukshetra) [2323]	Repair of Rooms	188000.00
4 GGSSS Ladwa (Kurukshetra) [2323]	Const of Two Rooms	1758000.00
5 GGSSS Ladwa (Kurukshetra) [2323]	Interlocking Tiles (Urban School)	769000.00
6 GSSS Mangoli Jattan (Kurukshetra) [2327]	Repair of Rooms	731000.00
7 GSSS Sharif Garh (Kurukshetra) [2334]	Const. of Prayer Ground	499000.00
8 GSSS Baraunda (Kurukshetra) [2348]	Const. of Multipurpose Hall	1948000.00
9 GSSS Gumthala Garhu (Kurukshetra) [2397]	Repair of Rooms	499000.00
10 GSSS Bhateri (Kurukshetra) [2420]	Flooring of Rooms	343000.00
11 GSSS Bhateri (Kurukshetra) [2420]	Repair of Rooms	436000.00
12 GSSS Thaska Miranji (Kurukshetra) [2429]	Const. of Multipurpose Hall	1553500.00
13 GSSS Kalsa (Kurukshetra) [2434]	Const. of Science Lab Two Rooms	1752000.00
14 GSSS Talheri (Kurukshetra) [2439]	Repairing of Flooring of Rooms	487000.00
15 GSSS Lohara (Kurukshetra) [2451]	Repair of Rooms	493000.00
16 GSSS Lohara (Kurukshetra) [2451]	White Wash, Water Tank and Stair	487000.00
	कुल राशि	13673500.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मरम्मत/एलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।

2. निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पैशफिकेशन के आधार पर करना होगा।
3. सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
4. विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
5. जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (9) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

Sofr
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 w(1)

दिनांक, पंचकूला:- 12/01/2022


इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त कुरुक्षेत्र
5. जिला शिक्षा अधिकारी, कुरुक्षेत्र को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी कुरुक्षेत्र
8. उप खजाना अधिकारी, शाहबाद/पेहवा/लाडवा/ईस्मायलाबाद
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

Sanjeev Kumar
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
 विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GSSS-Barna[2393], Kurukshetra

यादी क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक पंचकुला 10-01-2022

विषय **माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैषल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).**


हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अषा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Barna (Kurukshetra) [2393]	Const. of Science Lab Two Rooms	1759000.00
	कुल राशि	1759000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फाटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (9) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।


 अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक, पंचकुला:-10-01-2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त कुरुक्षेत्र
5. जिला शिक्षा अधिकारी, कुरुक्षेत्र को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तत्: विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी कुरुक्षेत्र
8. उप खजाना अधिकारी, शाहबाद/पेहवा/लाडवा/ईस्मायलाबाद
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

Sanjeev Kumar
अधीक्षक निर्माण

कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



सेवा में,

Head Master GHS-Hanaori[1824], Karnal
Head Master GHS-Hanaori[1824], Karnal
Head Master GHS-Kalroan[1869], Karnal
Head Master GHS-Muradgarh[1886], Karnal
यादी क्रमांक 2/79-2021 W(1) Group: 375

दिनांक पंचकुला 10-01-2022

विषय **माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).**

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अषा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GHS Hanaori (Karnal) [1824]	Repair of Roof of Rooms	442400.00
2 GHS Hanaori (Karnal) [1824]	Repair of Doors and Windows	249000.00
3 GHS Kalroan (Karnal) [1869]	Const. of Tracing Tiles of Rooms, White Wash & Electricity Wires	307000.00
4 GHS Muradgarh (Karnal) [1886]	Replace of Window, Doors of Rooms & Repairing of Flooring	480000.00
	कुल राशि	1478400.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (9) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक, पंचकुला: 12-04-2021

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त करनाल
5. जिला शिक्षा अधिकारी, करनाल को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी करनाल
8. उप खजाना अधिकारी, नीलोखेड़ी/इन्द्री/घरौण्डा/असन्ध/निसिंग/तरावड़ी
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

Sankar Kumar
अधीक्षक निर्माण


कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Head Master GHS-Mouli[3728], Panchkula

यादी क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक पंचकुला 10-01-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैषल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अषा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GHS Mouli (Panchkula) [3728]	Const. of Kitchen Shed	604000.00
	कुल राशि	604000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (9) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा10 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त पंचकूला
5. जिला शिक्षा अधिकारी, पंचकूला को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुराध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते मे स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी पंचकूला
8. उप खजाना अधिकारी, कालका/बरवाला/मोरनी/रायपुररानी
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

S. S. S. S.
अधीक्षक निर्माण


कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Head Master GHS-Karman[1151], Palwal

यादी क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक पंचकुला 10-01-2022

विषय **माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).**


हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अषा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GHS Karman (Palwal) [1151]	Repair of Two Rooms with Veranda	1669000.00
	कुल राशि	1669000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
2. निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
3. सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
4. विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
5. जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (9) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।


 अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 w(1)

दिनांक, पंचकुला:- 12/04/2021

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त पलवल
5. जिला शिक्षा अधिकारी, पलवल को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी पलवल
8. उप खजाना अधिकारी, पलवल/होडल/हथीन
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

Sankar Kumar
अधीक्षक निर्माण


कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GSSS-Kahanaur[2655], Rohtak

Principal GSSS-Ritauli[2804], Rohtak

यादी क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक पंचकुला 10-01-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैषल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अषा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Kahanaur (Rohtak) [2655]	Balance amount for completion of 3 class rooms with veranda	480000.00
2 GSSS Ritauli (Rohtak) [2804]	White Wash and Fencing	427000.00
	कुल राशि	907000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
2. निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
3. सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
4. विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
5. जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (9) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक, पंचकुला:- 10/01/2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त रोहतक
5. जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी रोहतक
8. उप खजाना अधिकारी, महम/साम्पला/कलानौर
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

Santosh Kumar
अधीक्षक निर्माण


कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GSSS-Chamrori[202], Yamuna Nagar
Principal GSSS-Chamrori[202], Yamuna Nagar
Principal GSSS-Khadri[279], Yamuna Nagar
यादी क्रमांक 2/79-2021 W(1) Group: 379
दिनांक पंचकुला 10-01-2022

विषय मार्डनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैषल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22
(Recurring/Non-Recurring).


हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अषा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Chamrori (Yamuna Nagar) [202]	Repair of Rooms	493000.00
2 GSSS Chamrori (Yamuna Nagar) [202]	Const. of ACR	1238000.00
3 GSSS Khadri (Yamuna Nagar) [279]	Const. of Main Gate	535000.00
	कुल राशि	2266000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फाटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (9) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।


अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त यमुनानगर
5. जिला शिक्षा अधिकारी, यमुनानगर को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी यमुनानगर
8. उप खजाना अधिकारी, यमुनानगर/छछरोली/बिलासपुर/सडौरा/रादौर
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

Sanjeev Kumar
अधीक्षक निर्माण

कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Developmentतमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GSSS-Gaibipur[1212], Hisar

Principal GSSS-Nalwa[1304], Hisar

Principal GSSS-Dhani Khan Bahadur[1345], Hisar

यादी क्रमांक 2/79-2021 W(1) Group: 373

दिनांक पंचकुला 10-01-2022

विषय **माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).**


हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अषा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Gaibipur (Hisar) [1212]	Const. of Water Tank	47000.00
2 GSSS Nalwa (Hisar) [1304]	Balance Amount of Minor Work	30422.00
3 GSSS Dhani Khan Bahadur (Hisar) [1345]	Const. of Boys and Girls Toilets & Painting	326125.00
	कुल राशि	403547.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
2. निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
3. सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
4. विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फाटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
5. जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (9) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।


अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त हिसार
5. जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी हिसार
8. उप खजाना अधिकारी, आदमपुर/हांसी/नारनौद/बरवाला/उकलाना
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

Samir Kumar
अधीक्षक निर्माण


कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GSSS-Sardaheri[151], Ambala

यादी क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक पंचकुला 10-01-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अषा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Sardaheri (Ambala) [151]	Const. of Multipurpose Hall	483000.00
	कुल राशि	483000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
2. निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
3. सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
4. विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
5. जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (9) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।


अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक, पंचकुला: 10/01/2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त अम्बाला
5. जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बाला को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी अम्बाला
8. उप खजाना अधिकारी, अम्बाला कैंन्ट/बराड़ा/नारायणगढ़/मुलाना
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।



अधीक्षक निर्माण

कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला



Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Principal GSSS-Sutana[2064], Panipat
Principal GSSS-Ahar[2116], Panipat
Principal GSSS-Kurana[2132], Panipat
Principal GSSS-Kurana[2132], Panipat
यादी क्रमांक 2/79-2021 W(1) Group: 377
दिनांक पंचकुला 10-01-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अषा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0एण्ड0सी0 दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Sutana (Panipat) [2064]	Balance Amount for Completion of Hall with Rooms and Stairs	1164000.00
2 GSSS Ahar (Panipat) [2116]	Repair of Room, Kota Stone & White Wash	499400.00
3 GSSS Kurana (Panipat) [2132]	Balance amount for Completion of 3 Rooms	411700.00
4 GSSS Kurana (Panipat) [2132]	Const. of Cycle Stand	466115.00
	कुल राशि	2541215.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
2. निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पेशलिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
3. सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
4. विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फाटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
5. जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (9) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-


1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त पानीपत
5. जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी पानीपत
8. उप खजाना अधिकारी, समालखा/इसराना/बापोली/मडलोडा
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

Santosh Kumar
अधीक्षक निर्माण

कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
 विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे,

Principal GSSS-Ahar[2116], Panipat
 यादी क्रमांक 2/79-2021 W(1)
 दिनांक पंचकुला 10-01-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैषल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22
 (Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अषा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Ahar (Panipat) [2116]	Minor Repair कुल राशि	487000.00 487000.00

स्कीम मे यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एंव जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पैशियफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फाटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजें।
- जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (9) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक, पंचकुला:-/0-0/2022

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त पानीपत
5. जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी पानीपत
8. उप खजाना अधिकारी, समालखा/इसराना/बापोली/मडलोडा
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

Sanjeev Kumar
अधीक्षक निर्माण


कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में,

Head of Institution DEEO-Panipat[6846], Panipat

यादी क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक पंचकुला 10-01-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22 (Recurring/Non-Recurring).


हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अषा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 DEEO Panipat (Panipat) [6846]	Repair, White Wash, Sanitary Fitting, Electrical Work and Wooden Work	300000.00
	कुल राशि	300000.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (9) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।


अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक, पंचकुला:- 12/04/2021

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाण सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त पानीपत
5. जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEEO as DDO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी पानीपत
8. उप खजाना अधिकारी, समालखा/इसराना/बापोली/मडलोडा
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

Sankar Kumar
अधीक्षक निर्माण

कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



सेवा में,

Principal GSSS-Naguran[1505], Jind
Principal GGSSS-Uchana Mandi[1524], Jind
Principal GSSS-Khanda[1554], Jind
Principal GSSS-Khanda[1554], Jind
Head Master GHS-Dhillowal[1629], Jind
Principal GSSS-Bhongra[1699], Jind
Principal GSSS-Bhongra[1699], Jind
Principal GGSSS-Kalwan[1736], Jind
यादी क्रमांक 2/79-2021 W(1) Group: 374
दिनांक पंचकुला 10-01-2022

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2021-22
(Recurring/Non-Recurring).

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अषा० क्रमांक 14/01/2020-1 बी०एण्ड०सी० दिनांक 12.04.2021 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/79-2021 Works (1) दिनांक 12.05.2021 के प्रसंग के अर्न्तगत व्यवस्थित 10000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों को उनके समक्ष अंकित कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Naguran (Jind) [1505]	Const. of Multipurpose Hall	236000.00
2 GGSSS Uchana Mandi (Jind) [1524]	Const. of 4 Toilets	860000.00
3 GSSS Khanda (Jind) [1554]	Balance Amount for Completion of Rooms with Veranda	498000.00
4 GSSS Khanda (Jind) [1554]	Const. of Main Gate on RCC Column and Beam	410000.00
5 GHS Dhillowal (Jind) [1629]	Balance Amount for Const. of Multipurpose Hall	235000.00
6 GSSS Bhongra (Jind) [1699]	Balance Amount for Const. of Multipurpose Hall	236000.00
7 GSSS Bhongra (Jind) [1699]	Const. of 2 No. Labs	199900.00
8 GGSSS Kalwan (Jind) [1736]	White Wash	110678.00
	कुल राशि	2785578.00

स्कीम में यह राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य के लिये गठित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण के स्पेशलिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शि-III(2) दिनांक 19.12.91 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्ही हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- विद्यालयों के भवनों के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस०एम०सी० कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा।

कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि हो तो उसे तुरन्त खजाने में चालान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।

5. जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है ता भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा शीर्ष 2202 General Education-02-Secondary Education-053-Maintenance of Building (9) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works (Non-Recurring/Recurring) 2021-22 के अर्न्तगत वहन करना होगा।

Sel-
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठाकन क्रमांक 2/79-2021 W(1)

दिनांक, पंचकूला: -/01/2022


इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 14/01/2020-1 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 12.04.2021 के संदर्भ में।
2. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड0ई) चण्डीगढ़।
3. प्रधान महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
4. अतिरिक्त उपायुक्त जीद
5. जिला शिक्षा अधिकारी, जीद को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के संदर्भ में भेजकर अनुराध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
6. मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय से अनुरोध है कि यह राशि DEO as BCO के खाते में स्थानान्तरित की जाये।
7. जिला खजाना अधिकारी जीद
8. उप खजाना अधिकारी, नरवाना/सफीदों/जुलाना/उचाना/पिल्लुखेड़ा
9. अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)
10. इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
11. इन्चार्ज आई0टी0 सैल (शिक्षा निदेशालय)।

Sampratik Kumar
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकूला।



**HARYANA GOVERNMENT
SECONDARY EDUCATION DEPARTMENT
PANCHKULA**



No.4/4-2021 HRG-I (1)

Dated Panchkula, the 06.01.2022

In partial modification to order no 4/4-2021 HRG-I(1) dated 29.12.2021/04.01.2021 whereby Smt Sushma Goel [031652] (Seniority no. 2796 A as stood on 08.07.2019), on promotion as Principal, was posted at Government Senior Secondary School, Chochra [1981], Karnal is hereby adjusted at Government Senior Secondary School Uchana [1921], Karnal against vacancy with immediate effect.

Terms & Conditions

1. This is purely initial temporary posting for stop gap arrangement till the teacher transfer drive resume and all these officers will have to participate in the ensuing Teachers' Transfer Drive for obtaining permanent posting as per their entitlement.
2. These orders are remain subject to final outcome of CWP NO. 20416 of 2021 titled as Dharamvir Singh & others V/s State of Haryana.
3. The officer(s) will be relieved immediately and join at their new place of posting within 7 days falling which he/she will be liable for disciplinary action.
4. No TA/DA and joining time will be admissible to the officer(s).
5. In case there is no vacancy in the allocated school, he/she shall inform to concerned branch.

**DR. MAHAVIR SINGH, IAS
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY TO GOVT. HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
HARYANA, CHANDIRGARH**

OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA

ENDST. NO. 4/4-2021-HRG-I(1)

DATED, PANCHKULA, THE 07.01.2022

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Karnal w.r.t. letter no. E-1/21/949-50 dated 14.09.2021
2. Secy/Hon'ble EM
3. Secy/ACSSE.
4. PS /DSE
5. Principal, Government Senior Secondary School, Chochra [1981], Karnal
6. Officer concern i.e. Smt Sushma Goel [031652] [nmg.neeraj@gmail.com]
7. PA/Additional Director (Admn)
8. IT Cell (HQ).
9. A separate copy of uploading the orders on MIS portal.
10. A separate copy for file no 4/4-2021 HRG-I(1).

J. Dre B. S. 7/1/22

**DEPUTY DIRECTOR HRG-I
for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA PANCHKULA**

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA
ORDER**

No. 18/192-2019 PGT-III (9)

Dated, Panchkula the 11.01.2022

Smt. Divya, PGT in English, DIET, Palwal District Kurukshetra is hereby granted Child Care Leave w.e.f. 12.01.2022 to 10.03.2022 as per rule-46 of HCS (Leaves) Rules, 2016 and instructions issued by the Finance Department time to time instructions No. 11/102/2009-3 FR dated 05.02.2010, 11/102/2009-3FR dated 05.07.2012 and letter No. 11/102/2009-3FR/28067 dated 01.02.2016.

**J.GANESAN
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA THE 12/01/2022

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Principal, DIET Palwal, District Kurukshetra.
2. Smt. Divya, PGT in English, DIET, Palwal, District Kurukshetra.
- ✓ 3. IT Cell for uploading the orders on website.
4. Office record.

D. Ganesan
12/1/22
**Dy. Superintendent PGT-III
for Director Secondary Education,
Haryana, Panchkula** *e*

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA**

Order No 20/210-2019 PGT-IV (3)

Dated, Panchkula, 07.01.2022

Smt. Ekta [5018733] PGT Mathematics, Govt. High School Milakpur, Gurugram is hereby granted Child Care Leave from 07.01.2022 to 28.05.2022 (142 days) subject to fulfillment of the provision of Rule, 46 of Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016.


J.Ganesan
Director Secondary Education
Haryana, Panchkula

Endst. No. Even

Dated, Panchkula, the 12.1.2022

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Gurugram w.r.t. their letter No. ई-2/2021/2824 dated 06.12.2021 with the direction to attach the Service Profile of applicant with the case in future.
2. Principal, Govt. High School Milakpur, Gurugram
3. Smt. Ekta, PGT Mathematics, Govt. High School Milakpur, Gurugram with the direction to send the case with full details (with employee id, school code) in future.
4. I.T. Cell for uploading the orders on website of Directorate.


Dy. Superintendent PGT-IV
for Director Secondary Education
Haryana, Panchkula

**GOVERNMENT OF HARYANA
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
CHANDIGARH**

Order No. 14/5-2021 PGT-IV (2)

Dated Panchkula, the 11.01.2022

Smt. Vineeta Sheoran, PGT Physics, Govt. Girls Sr. Sec. School, NIT 2 (Faridabad) is hereby granted Extra Ordinary Leave (without pay) on medical grounds under the Rule 41, 42 of Haryana Civil Services (Leave) Rules, 2016.

Sr. No.	Nature of Leave	From	To
1.	Extra Ordinary Leave (Without Pay)	10.01.2022	09.07.2022 (180 days)

The above said leave period not to be counted for any all consequential benefit.

**J.Ganesan
Director Secondary Education
Haryana, Panchkula**


**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**

Endst.No. Even

Dated, Panchkula, the 11.01.2022

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Faridabad.
2. Principal, Govt. Girls Sr. Sec. School, NIT 2 (Faridabad).
3. Smt. Vineeta Sheoran, PGT Physics, Govt. Girls Sr. Sec. School, NIT 2 Faridabad.
- ✓ 4. I.T. Cell.



**Dy. Superintendent PGT-IV
for Director Secondary Education
Haryana, Panchkula**



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
 कार्यालय: प्लॉट नं 1बी, शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253
 e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

ORDER NO. 30/7-2021 PS (1)**DATED, PANCHKULA THE 16.12.2021**

The Managing Committee of **Shri Ram Krishan Sr. Sec. School, Bhigan, Sonipat** is hereby approved with the following members:-

Priority	Member Name (Sh./Smt.)	Designation
1	Rajneesh	President/ Chairman
2	Deepak Tyagi	Vice Chairman
3	Meena	Secretary
4	Vinod Tyagi	Member Secretary
5	Abhishek	Manager
6	Mukesh Kumar	Teacher Member
7	Pale Ram	Teacher Member
8	Sanjay Kumar	Parent Member
9	Kavita	Parent Member (Female)
10	Parveen Kumar	Educationist
11	Rajeev Kumar	Educationist
12	Vishal	Member
13	Neetu Tyagi	Member

J. GANESAN, IAS
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

Endst. No. even**Dated, Panchkula the 05-01-2022**

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, **Sonipat**.
2. District Elementary Education Officer, **Sonipat**.
3. Manager, **Shri Ram Krishan Education Society, Bhigan, (Sonipat)**.
4. Principal, **Shri Ram Krishan Sr. Sec. School, Bhigan, (Sonipat)**.
5. I.T. Cell (HQ)
6. Office Record Copy.

SUPERINTENDENT PS
FOR DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA




GOVERNMENT OF HARYANA/हरियाणासरकार

Directorate School Education विद्यालय शिक्षानिदेशालय

Directorate of School Education / विद्यालयशिक्षानिदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development



तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: ShikshaSadan, Sector 5, Panchkula, Haryana134109(India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253

कार्यालय: शिक्षासदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फॅक्स: 91 (0172) 2560253

e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

Order No. 12/2-2019 HRME-II (1)

Dated, Panchkula 11.01.2022

Smt. Rekha Rani, Clerk, O/o DEO Kurukshetra is hereby granted Child Care Leave w.e.f. 17.01.2022 to 16.04.2022 as per Finance Department instructions No. 11/102/ 2009-3FR dated 05.02.2010, dated 05.11.2012 and letter No.11/ 102/ 2009-3FR/28067 dated 01.02.2016 under rule 46(3) of HCS (Leave Rules) 2016.

J. GANESAN
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA THE 11-1-22

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Kurukshetra w.r.t. their Memo No E-3/2021/2572 dated 28.12.2021.
2. Smt. Rekha Rani, Clerk, O/o DEO Kurukshetra.
3. I.T.Cell.

BUDGET OFFICER
for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA
ORDER**

No. 18/209-2021 PGT-III (9)

Dated, Panchkula the 07.01.2022

Smt. Neha, PGT in English, Govt. Sr. Sec. School, Kasar District Jhajjar is hereby granted Child Care Leave w.e.f. 01.02.2022 to 30.04.2022 as per rule-46 of HCS (Leaves) Rules, 2016 and instructions issued by the Finance Department time to time instructions No. 11/102/2009-3 FR dated 05.02.2010, 11/102/2009-3FR dated 05.07.2012 and letter No. 11/102/2009-3FR/28067 dated 01.02.2016.

**J.GANESAN
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**



ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA THE

11/01/2022

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The District Education Officer, Jhajjar.
2. The Principal/Headmaster, Govt. Sr. Sec. School, Kasar, District Jhajjar.
3. Smt. Neha, PGT in English, Govt. Sr. Sec. School, Kasar, District Jhajjar.
- ✓ 4. IT Cell for uploading the orders on website.
5. Office record.


**Dy. Superintendent PGT-III
for Director Secondary Education,
Haryana, Panchkula** 

OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA

ORDER

No. 18/172-2021 PGT-III (9)

Dated, Panchkula the 07.01.2022

In continuation of this office Order dated, 29.10.2021/02.11.2021, Child Care Leave of **Smt. Sobha Rani, PGT in Sanskrit, GGSSS Kharak Kalan, District Bhiwani** is hereby extended w.e.f. **01.01.2022 to 31.03.2022** as per rule-46 of HCS (Leaves) Rules, 2016 and instructions issued by the Finance Department time to time instructions No. 11/102/2009-3 FR dated 05.02.2010, 11/102/2009-3FR dated 05.07.2012 and letter No. 11/102/2009-3FR/28067 dated 01.02.2016.

**J.GANESAN, IAS
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA THE ~~30.12.2021~~ 11/01/2022

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The District Education Officer, Bhiwani.
2. The Principal, GGSSS Kharak Kalan, District Bhiwani.
3. Smt. Sobha Rani, PGT in Sanskrit, GGSSS Kharak Kalan, District Bhiwani.
4. IT Cell for uploading the orders on website.
5. Office record.

**Dy. Superintendent PGT-III
for Director Secondary Education,
Haryana, Panchkula**

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA
ORDER**

No. 18/192-2019 PGT-III (9)

Dated, Panchkula the 11.01.2022

Smt. Divya, PGT in English, DIET, Palwal District Kurukshetra is hereby granted Child Care Leave w.e.f. 12.01.2022 to 10.03.2022 as per rule-46 of HCS (Leaves) Rules, 2016 and instructions issued by the Finance Department time to time instructions No. 11/102/2009-3 FR dated 05.02.2010, 11/102/2009-3FR dated 05.07.2012 and letter No. 11/102/2009-3FR/28067 dated 01.02.2016.

**J.GANESAN
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA THE 12/01/2022

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Principal, DIET Palwal, District Kurukshetra.
2. Smt. Divya, PGT in English, DIET, Palwal, District Kurukshetra.
- ✓ 3. IT Cell for uploading the orders on website.
4. Office record.

D. Kumar
12/1/22
**Dy. Superintendent PGT-III
for Director Secondary Education,
Haryana, Panchkula** *e*

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA
ORDER**

No. 18/208-2021 PGT-III (9)

Dated, Panchkula the 07.01.2022

Smt. Devi Rani, PGT in English, Govt. Sr. Sec. School, Ding District Kaithal is hereby granted Child adoption leave w.e.f. 06.12.2021 to 31.05.2022 as per rule-45 of HCS (Leaves) Rules, 2016 with the conditions laid down in rules.


**J.GANESAN
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA**

ENDST. NO. EVEN

DATED, PANCHKULA THE 12/01/2022

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-


1. The District Education Officer, Kaithal.
2. The Principal/Headmaster, Govt. Sr. Sec. School, Ding, District Kaithal.
3. Smt. Devi Rani, PGT in English, Govt. Sr. Sec. School, Ding District Kaithal.
- ✓ 4. IT Cell for uploading the orders on website.
5. Office record.


**Dy. Superintendent PGT-III
for Director Secondary Education,
Haryana, Panchkula**



GOVERNMENT OF HARYANA/हरियाणासरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षानिदेशालय

Directorate of School Education / शिक्षानिदेशालय



Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालय: शिक्षासदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष: 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

(To be substitute bearing the same no. and date)

ORDER NO. 2/3-2021 HRME-I (4) DATED, PANCHKULA THE 10.01.2022

As per provision in the Haryana Civil Services (Compassionate Financial Assistance/Appointment) Rules, 2019, issued vide notification no. G.S.R. 32/Const./Art.309/2019 dated 02.08.2019, sanction is hereby accorded to appoint the following dependents due to death (while in service) of their father on the post of Clerk (Group-'C') on compassionate ground in the Government School of Education Department without going through the procedure of Haryana Staff Selection Commission/Director Employment Exchange Department in the pay band FPL-2 (19900-63200) of Schedule-I pay Matrix of Haryana Civil Services (Revised pay) Rules, 2016 plus usual allowances as sanctioned by the Haryana Government from time to time. They are hereby posted in the offices/institutions mentioned as under against vacancy and are posted at place mentioned against their names with immediate effect on the terms and condition mentioned below:-

Sr. No.	Name/Father's Name	Address	DOB	Category Gender Date of Birth	Place of posting
1	Manjeet Kumar S/o Late. Sh. Chhaju Ram, PGT Economics GSSS Haluwas District Bhiwani	House No. 469, Village Sui Tehsil Bawani Khara, District Bhiwani	29.09.1999	SC	O/o DEO Bhiwani [4120]

- Note:-**
1. His appointment is subject to the condition that concerned District Education Officers may ensure the Character Certificate and all other documents regarding date of birth and all educational documents.
 2. He is also directed to participate in next online transfer drive for taking permanent Station.

TERMS & CONDITIONS:-

1. His appointment is against a purely temporary post which is liable to be abolished at anytime and carries no promise of subsequent permanent employment. No offer of permanent vacancy can be made to him at present. His services can be terminated without any notice, whenever there is no vacancy against which he can be retained.
2. If at any stage he desires to resign his posts he will be required to give one month's notice or forfeit in lieu thereof, his salary including allowances for one month or for the period by which the notice falls short of one month. Such a notice will be given to him by the Directorate Secondary Education, Haryana, Panchkula in case it is proposed to terminate his services for the reason other than that mentioned in clause (1) above.

3. He will be required to take the prescribed oath of allegiance to the constitution of India.
4. In case he is married, he will produce the following certificate to his/her Head of office:-

"That he/she is not having more than one living spouse." In case they are unmarried, they shall have to furnish a declaration to the effect that each of these will not have more than one living spouse.
5. In case he is unmarried, he will have to furnish a declaration to the Head of the Department that he has not taken any dowry after marriage. The declaration should be signed by your wife, father and father-in law, as per Chief Secretary to Govt. Haryana letter No. 18/1/2004-2GSI dated 21.02.2006.
6. The candidate shall have to qualify the State Eligibility Test in Computer Appreciation and applications (SETC) within the probation period of two years, extendable by one year in case of direct recruitment. The candidate appointed against the aforesaid categories of posts in the group 'C' shall not be entitled to earn any increment in his pay scale till he/she qualifies the said test failing which the services of such employees shall be dispensed with.
7. He will not undertake higher studies of any kind without prior permission of the competent authority. Consequently, no leave of any kind will be granted for the pursuing of higher studies.
8. He will be required to produce the original Educational documents and date of birth certificate before joining his duties of the said post.
9. He shall have to furnish fitness certificate from the Chief Medical Officer as required under Rule 9 of Haryana CSR (General), 2016 before joining his duties.
10. No TA/DA and joining time will be paid to him for joining this post.
11. He will remain on probation for a period of two years, from the date of his joining in the department. The period of probation can be extended in accordance with the existing rule on the subject. For assessing his performance during the period of probation, his work conduct will be taken into consideration. If his work and conduct during this period is not found satisfactory his services will be terminated without any notice.
12. His appointment is subject to have passed 10+2 or its equivalent examination with Hindi or Sanskrit.
13. That in the matters, not specifically mentioned in this Communication, he shall be governed by the Civil Service Rules as applicable to Haryana Government employees and such rules/order /instructions as may be issued by the State Government from time to time. He shall further be governed by the "Haryana Education Department Sub Offices Ministerial (Group-C) Services Rules, 1983" and amended in the year 2013.
14. His services will be governed under the "NEW DEFINED CONTRIBUTORY PENSION SCHEME" of the Haryana Government as per Finance Department's notification dated 28.10.2005.

15. That if he got appointment on the basis of furnishing false/forged or fraudulent information/facts/documents which are detected later on to be false or forged or fraudulent, he would be liable for termination of his services without any notice besides such criminal action that may be taken as prescribed in the Indian Penal Code or any other Law enforce.


VIVEK KALIA
 ADDITIONAL DIRECTOR ADMN-II
 O/O DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
 HARYANA, PANCHKULA

ENDST. No. Even

DATED, PANCHKULA THE 11.01.22

A copy is forwarded to the following for information and necessary action to the following:-

1. The Secretary, Haryana Staff Selection Commission, Sector-2, Panchkula, Haryana.
2. Chief Medical Officer, Bhiwani, he is requested that the above name candidates may be examined medically as and when he/she report for the said purpose and the Medical Certificate of Health for first entry into Government Service be issued for further action to this office.
3. District Education Officer, Bhiwani.
4. The Head of the offices/institutions concerned with the request that the candidates should be allowed to join duty after verifying the original documents. Joining report may be sent to this Directorate immediately, after their report for duty.
5. Candidates concerned.
6. Superintendent Pension-I with their reference no. 9/124-2021 Pension-I (1) dated 22.12.2021.
7. IT Cell is requested to upload the order on official website and generate the ID of employee.
8. Data Entry Operator (HRME-I Branch) is requested to update the data of the concerned official on the website/MIS Portal please.


 BUDGET OFFICER
 for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
 HARYANA, PANCHKULA